बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना–800001

फोन– 0612-2231563, वेबसाईट : http://bsea.bihar.gov.in, ई–मेल : bsceapatna@gmail.com

पत्रांक : नि॰ प्रा॰/नि॰ 1–20/2024 111 /पटना, दिनांक 13/01/2026

प्रेषक,

कयूम अंसारी,
संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

<u>जिला पदाधिकारी –सह– जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰),</u>
उप विकास आयुक्त –सह– नोडल पदाधिकारी (स॰स॰),
अररिया, औरंगाबाद, कटिहार, कैमूर, खगड़िया, जहानाबाद, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, बांका, भागलपुर, मधुबनी, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, रोहतास, लखीसराय, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, सीवान एवं सुपौल।
संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी –सह– निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰),
(संलग्न सूची के अनुसार) ।

विषय : **प्राथमिक कृषि साख समिति लि॰ (पैक्स) के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची की तैयारी एवं प्रकाशन के संबंध में।**

महाशय,

बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा–14 क (1) (यथासंशोधित) एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–1273 दिनांक 01.03.2012 के आलोक में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों की प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. प्राधिकार की अधिसूचना संख्या–6476 दिनांक 12.05.2012 द्वारा बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 के तहत निबंधित सभी सहकारी समितियों के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए जिला पदाधिकारी को अपने–अपने क्षेत्राधिकार के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰) एवं अधिसूचना संख्या–6477 दिनांक 12.05.2012 द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी को निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰) के रूप में अधिसूचित किया गया है। सामान्यतया प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्वाचन पदाधिकारी होंगे, लेकिन आवश्यक समझे जाने पर जिला पदाधिकारी अपने आदेश द्वारा निर्वाचन पदाधिकारी का दायित्व अंचल अधिकारी को सौंप सकेंगे।

3. **सम्प्रति, प्राधिकार उन प्राथमिक कृषि साख समितियों की प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन कराना चाहता है, जिनका निर्वाचन देय है या जो अवक्रमित है अथवा जिनके पद रिक्त हैं तथा जिनका त्रुटिरहित निर्वाचन प्रस्ताव संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाईट पर ऑनलाईन उपलब्ध कराया गया है, वैसी समितियों की सूची अनुलग्नक–1 पर दी गयी है।**

4. **अनुलग्नक–1 में वर्णित प्राथमिक कृषि साख समितियों की मतदाता सूची की तैयारी एवं उसके बाद निर्वाचन के उद्देश्य से प्राधिकार ने <u>दिनांक 31.12.2025 को कट ऑफ–तिथि</u> के रूप में निर्धारित किया है। केवल वैसे व्यक्ति, जो दिनांक 31.12.2025 तक समिति की सदस्यता या सह–सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं तथा जो अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं, के नाम ही प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित किये जा सकेंगे।**

5. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में एक स्वच्छ मतदाता सूची का निर्माण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। इस परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं:-

(i) अनुलग्नक-1 में अंकित समिति द्वारा **दिनांक 20.01.2026** को तीन प्रति में प्रारूप मतदाता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। यह प्रारूप मतदाता सूची प्राधिकार के पत्रांक 717 दिनांक 06.05.2024 के आलोक में ''समेकित सूची'' होगी, जिसमें समिति की विशेष बैठक के बाद निर्वाचन प्रस्ताव के साथ समर्पित ''प्रस्तावित प्रारूप मतदाता सूची'' तथा विशेष बैठक के बाद एवं प्राधिकार द्वारा निर्धारित कट-ऑफ तिथि के पूर्व ''नये बनाये गये सदस्यों एवं हटाये गये सदस्यों की सूची'' भी शामिल रहेगी। यह समेकित सूची प्रपत्र- एम.1 में तैयार की जाएगी, जो समिति के अध्यक्ष/ प्रबंधक/ प्रशासक द्वारा हस्ताक्षरित होगी। हस्ताक्षर प्रत्येक पृष्ठ पर किया जायेगा। पैक्स की प्रबंध समिति के पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची आधार सूची मानी गयी है। अत: उस सूची से किसी व्यक्ति का नाम हटाया गया हो, तो समिति को एक अलग सूची बनाकर यह स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि नियमावली/ उपविधि के किस प्रावधान के तहत तथा किस प्रक्रिया को अपनाकर सदस्यता समाप्त की गयी है। जिला सहकारिता पदाधिकारी इस सूची पर विशेष ध्यान देंगे। प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने में इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि सदस्य की अगर कोई अयोग्यता हो, तो उसका उल्लेख प्रपत्र- एम.1 के स्तम्भ-5 में निश्चित रूप से कर दिया जाय। साथ ही प्रपत्र- एम.1 के स्तम्भ-6 में ''सह-सदस्य'' होने का भी उल्लेख किया जाना है। विगत चुनाव में जो सदस्य थे, वे तबतक सदस्य ही माने जायेंगे, जबतक समिति अपने अभिलेखों, यथा- सदस्यता बही, कैशबुक आदि के आधार पर निर्विवादित रूप से यह प्रमाणित नहीं कर दे कि अमुक व्यक्ति सह-सदस्य है। इसमें किसी प्रकार का संदेह होने पर संदेह का लाभ सदस्य को दिया जायेगा अर्थात् संबंधित व्यक्ति को सदस्य माना जायेगा। यदि किसी मतदाता के बारे में ''सह-सदस्य'' का जिक्र नहीं है और प्रारूप मतदाता सूची में उक्त प्रविष्टि रिक्त है तो संबंधित मतदाता को ''सदस्य'' मान लिया जाएगा। समिति का यह भी दायित्व होगा कि कट-ऑफ तिथि तक वैध रूप से सदस्य/ सह-सदस्य बनाये गये सभी व्यक्तियों का नाम प्रपत्र एम-1 (प्रारूप मतदाता सूची) में अवश्य सम्मिलित रहे। इसके अतिरिक्त प्रपत्र एम- 1A में प्रबंधकारिणी की विशेष बैठक के बाद और प्राधिकार द्वारा निर्धारित कट-ऑफ तिथि पूर्व अर्थात् बीच की अवधि में नये बनाये गये सदस्यों एवं कारण सहित हटाये गये सदस्यों की सूची भी जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। **प्रारूप मतदाता सूची तैयार करते समय समिति द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदाता सूची के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय/ उच्चतम न्यायालय के किसी आदेश का उल्लंघन न हो।**

(ii) प्राधिकार के पत्रांक 717 दिनांक 06.05.2024 की कंडिका- 2 (ii) (क) के अनुपालन में समिति की विशेष बैठक के बाद समर्पित प्रस्तावित प्रारूप मतदाता सूची की जांच जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा पूर्व में कर ली गई होगी। अत: इस समय जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा विशेष बैठक के बाद एवं कट-ऑफ तिथि के बीच की अवधि में तैयार सूची प्रपत्र- एम 1A से ''समेकित सूची'' की जांच प्राधिकार के पत्रांक 717 दिनांक 06.05.2024 की कंडिका 2 (ii) (ख) (ग) के आलोक में की जायेगी। समिति द्वारा समर्पित प्रारूप मतदाता सूची की प्रमाणिकता की जाँच संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से की जायेगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी प्राप्त अभिलेख एवं समिति के अभिलेख, यथा- सदस्यता बही, सभा बही, कैशबुक आदि तथा अधिनियम एवं नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आधार पर प्रारूप मतदाता सूची में सुधार करने के लिए प्राधिकृत किये जा रहे हैं। उनके द्वारा जो भी सुधार किया जाएगा, उसके संबंध में स्पष्ट कारण भी अंकित किया जाएगा। जाँचोपरान्त एवं संशोधानोपरान्त (अगर कोई हो) मतदाता सूची **दिनांक 22.01.2026** तक संबंधित समिति के निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उक्त प्रारूप मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ को सत्यापित किया जाएगा। जिला सहकारिता पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी कि प्रारूप मतदाता

सूची में दी गई सूचनायें सही हों तथा कट-ऑफ तिथि तक सभी वैध सदस्यों/ सह-सदस्यों के नाम सूची में शामिल रहें। पैक्स की प्रबंध समिति के पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची आधार सूची मानी गयी है। अतः जिला सहकारिता पदाधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि उक्त सूची से यदि किसी व्यक्ति का नाम हटाया गया हो, तो वे यह अवश्य सुनिश्चित कर लेंगे कि अधिनियम/ नियमावली/ उपविधि के प्रावधानों के तहत प्रक्रिया अपना कर ही सदस्यता समाप्त की गयी हो। निर्वाचन की पिछली मतदाता सूची से जिनका नाम समिति ने हटा दिया है और समिति द्वारा कंडिका- 5 (i) के अनुसार दी गयी सूची में सही प्रक्रिया के तहत नाम नहीं हटाया गया हो, तो जिला सहकारिता पदाधिकारी उसकी मान्यता नहीं देंगे और तद्नुसार सूची में सुधार करेंगे। साथ ही पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची में अंकित सदस्य के नाम को सह-सदस्य के रूप में मान्यता नहीं देंगे, जब तक कि पूर्व उपकंडिका (i) के अनुसार निर्विवादित रूप से प्रमाणित हो जाए कि वह व्यक्ति सह-सदस्य है। **यह सुनिश्चित करना जिला सहकारिता पदाधिकारी का दायित्व होगा कि प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने में माननीय उच्च न्यायालय/ उच्चतम न्यायालय के किसी आदेश का उल्लंघन न हो**। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा सत्यापित/ हस्ताक्षरित प्रारूप मतदाता सूची प्राप्त हो जाने पर निर्वाचन पदाधिकारी उस सूची को प्रारूप मतदाता सूची के रूप में प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार विहित स्थलों पर प्रकाशित करेंगे। प्रारूप मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी का पूर्ण एवं स्पष्ट हस्ताक्षर मुहर सहित अनिवार्य रूप से अंकित रहेगा। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की सूचना **प्रपत्र-एम 2** में निर्गत की जायेगी। **प्रपत्र एम-2 के सूचना की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाईट पर भी किया जाना है। इससे संबंधित निर्देश परिशिष्ट-1 में संलग्न है।**

6. अनुलग्नक-1 में अंकित प्राथमिक कृषि साख समितियों की मतदाता सूची की तैयारी एवं प्रकाशन हेतु प्राधिकार द्वारा निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है :-

क्र०	**कार्यक्रम**	**अवधि**
1	प्राथमिक कृषि साख समिति द्वारा प्रपत्र-एम 1 में प्रारूप मतदाता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	20.01.2026
2	जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उक्त सूची का सत्यापन कर अथवा उक्त सूची स्वयं तैयार कर उसे निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	22.01.2026
3	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थानों पर प्रकाशन	24.01.2026
4	आम नोटिस का प्रकाशन, जिसमें मतदाता सूची के संबंध में दावे/ आपत्तियाँ प्राप्त करने की तिथि और प्राप्त दावे/ आपत्तियों के निष्पादन की तिथि अंकित है	24.01.2026
5	दावे/ आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि	24.01.2026 से 03.02.2026 तक
6	दावे/ आपत्तियों के निष्पादन के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन	06.02.2026

7. प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन निम्नांकित स्थलों पर किया जायेगा :-

(क) निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर।

(ख) संबंधित प्राथमिक कृषि साख समिति के कार्यालय के सूचना पट पर।

(ग) जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर।

(घ) प्राधिकार के वेबसाईट पर (इससे संबंधित निदेश संलग्न परिशिष्ट-1 में दिया गया है।)

8. प्रारूप मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने के संबंध में कोई आपत्ति अथवा प्रारूप मतदाता सूची में किसी सदस्य का नाम जोड़ने से संबंधित दावा **प्रपत्र- एम 3**

में तथा मतदाता सूची से किसी प्रविष्टि से संबंधित विशिष्टियों पर आपत्ति प्रपत्र- एम 4 में विहित समय सीमा के अंदर ही लिया जा सकेगा। मतदाता सूची से नाम हटाने के संबंध में आपत्ति उन्हीं व्यक्तियों द्वारा दी जायेगी, जो संबंधित प्राथमिक कृषि साख समिति के सदस्य हैं। **बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा दी गई आपत्ति निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सिरे से खारिज कर दी जायेगी।** सादे कागज पर दी गई आपत्तियाँ स्वीकार्य नहीं होंगी।

9. प्रारूप मतदाता सूची में लिपिकीय अथवा मानवीय भूलवश किसी सदस्य, उसके पिता/ पति का नाम एवं पता अथवा किसी समिति के नाम एवं पते में कोई भूल या त्रुटि परिलक्षित होने पर निर्वाचन पदाधिकारी प्रारूप मतदाता सूची में आवश्यक सुधार करने हेतु स्वयं सक्षम होंगे।

10. प्रारूप मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि के संबंध में आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त होने पर निर्वाचन पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी (उप निर्वाचन पदाधिकारी) द्वारा उसकी सरसरी तौर पर पड़ताल कराई जाएगी तथा आवश्यकता महसूस होने पर संक्षिप्त सुनवाई कर आपत्ति की स्वीकृति/ अस्वीकृति के संबंध में आपत्ति-पत्र पर ही मुखर आदेश पारित किया जाएगा। तदनुसार मतदाता सूची में आवश्यक संशोधान अनुपूरक मतदाता सूची के माध्यम से कर लिया जाएगा। पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची से यदि किसी मतदाता का नाम समिति ने हटा दिया हो, तो समिति को साक्ष्य उपलब्ध कराना होगा कि सहकारिता अधिनियम/ नियमावली के किन प्रावधानों के तहत उक्त कार्रवाई की गई है। निर्वाचन पदाधिकारी समिति के अभिलेखों का अवलोकन कर इस पर निर्णय लेगा। सह-सदस्य के संबंध में यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो यह समिति का दायित्व होगा कि अभिलेखों, यथा- सदस्यता बही, कैशबुक आदि के आधार पर निर्विवादित रूप से यह प्रमाणित करें कि अमुक व्यक्ति सह-सदस्य हैं। इसमें किसी प्रकार का सन्देह होने पर सन्देह का लाभ सदस्य को दिया जाएगा अर्थात् संबंधित व्यक्ति को सदस्य माना जाएगा। निर्वाचन पदाधिकारी इस विषय पर सहकारिता पदाधिकारी से तकनीकी परामर्श ले सकते हैं। इसी तरह जिनका नाम पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची में नहीं था, परंतु नाम जोड़ने का दावा कर रहे हों, तो वैसे लोगों को मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के मामले में आवेदन पत्र के साथ सदस्यता शुल्क एवं शेयर राशि जमा करने का साक्ष्य अथवा पूर्व में अपने सदस्य होने का ठोस साक्ष्य अथवा शेयर प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा एवं जाँच के समय मूल प्रतियों की मांग आवश्यक रूप से की जायगी। साथ ही साथ, आवश्यकता महसूस होने पर इन मामलों से संबंधित समिति से भी प्रतिवेदन/ अभिलेख की मांग की जा सकती है।

11. प्रारूप मतदाता सूची में जो भी परिवर्तन किए जायेंगे, उन्हें **प्रपत्र-एम 5** में दिए गए नमूने के अनुसार एक अनुपूरक सूची के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें स्पष्ट उल्लेख रहेगा कि प्रारूप मतदाता सूची से कौन सी प्रविष्टि हटायी गयी है, कौन सी प्रविष्टि में आवश्यक संशोधन किया गया है, तथा कौन-सी नई प्रविष्टि जोड़ी गई है। **प्रारूप मतदाता सूची एवं अनुपूरक मतदाता सूची के सम्मिलित रूप को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची माना जाएगा।** मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना का प्रारूप **प्रपत्र-एम 6** पर देखा जा सकता है।

12. संबंधित सहकारी समिति की अंतिम मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में उसे तैयार करने वाले कर्मी तथा निर्वाचन पदाधिकारी/ प्राधिकृत उप निर्वाचन पदाधिकारी, दोनों द्वारा अंतिम प्रकाशन के दिन अपने नाम एवं पदनाम सहित हस्ताक्षर किया जाएगा, जो इस बात के प्रमाणस्वरूप होगा कि मतदाता सूची सही है एवं इसमें कोई छेड़-छाड़ नहीं की गई है। सचेत किया जाता है कि प्रारूप मतदाता सूची अथवा पूरक मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि में ओवरराइटिंग नहीं हो। किसी भी तरह के सुधार को स्पष्ट अक्षरों में उसके बगल में अंकित कर दिया जाय तथा उसके शीर्ष में सुधार करने वाले पदाधिकारी द्वारा अपना आद्याक्षर (initial) अवश्य कर दिया जाय। अगर निर्वाचन संचालन के दौरान प्राधिकार को मतदाता

सूची में संबंधित कर्मियों के स्तर पर कोई गड़बड़ी करने की संपुष्ट शिकायत प्राप्त होगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगा।

13. मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के समय निर्वाचन पदाधिकारी -सह- प्रखंड विकास पदाधिकारी जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा **प्रपत्र-एम** 1 में टंकित या कम्प्यूटरीकृत रूप में उपलब्ध कराये गये मतदाता सूची की तीन प्रतियों में से दो का उपयोग करेंगे एवं एक प्रति मूल अभिलेख (कार्यालय प्रति) के रूप में सुरक्षित रखेंगे।

14. मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के समय अंतिम मतदाता सूची की नौ प्रतियाँ तैयार की जायेंगी। इसकी चार प्रतियों का उपयोग निर्वाचन के समय किया जाएगा तथा शेष बची प्रतियों में से एक प्रति प्रखंड मुख्यालय में अंतिम प्रकाशन के लिए, एक प्रति सहकारी समिति के कार्यालय में अंतिम प्रकाशन के लिए, एक प्रति निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखने के लिए तथा दो प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जायगी। **जो सदस्य मतदाता सूची की फोटो प्रति प्राप्त करना चाहें, उन्हें ₹ 2/- प्रति पृष्ठ की लागत दर पर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा फोटो प्रति उपलब्ध करायी जाएगी।**

15. **दिनांक 06.02.2026** के पूर्वाह्न तक निर्वाचन पदाधिकारी विनिर्दिष्ट स्थलों पर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करेंगे। मतदाता सूची के अंतिम प्रकशन की सूचना प्रपत्र- एम 6 में निर्गत किया जाएगा। तत्पश्चात् मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाईट पर "हाँ" अथवा "नहीं" में किया जाएगा। **निर्वाचन पदाधिकारी को स्पष्ट किया जाता है कि वेबसाईट पर अंतिम प्रकाशन के सूचना की प्रविष्टि होने के पश्चात् ही प्राधिकार द्वारा संबंधित समिति का निर्वाचन कराया जायेगा।** मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना उसी दिन प्रपत्र- एम 7 में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उक्त सूचनाओं को समेकित कर प्रपत्र- एम 7 में ही प्राधिकार को ई-मेल के माध्यम से **दिनांक 07.02.2026** तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

16. जिला निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित निर्वाचन पदाधिकारियों को अपने स्तर से भी प्राधिकार के उपर्युक्त निदेशों से अवगत करा देंगे। निर्वाचन पदाधिकारी अपने स्तर से संबंधित प्राथमिक कृषि साख समिति को उपर्युक्त निदेश की जानकारी निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

13.01.26

(कयूम अंसारी)

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 111 /पटना, दिनांक 13/01/2026

प्रतिलिपि: संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। वे कृपया निर्वाचन पदाधिकारी को स्वच्छ मतदाता सूची के निर्माण में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। ज्ञातव्य हो कि निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा की गई किसी पृच्छा का सम्यक् एवं त्वरित उत्तर देने हेतु वे कर्त्तव्यबद्ध (dutybound) हैं।

2. उन्हें निदेशित किया जाता है कि वे कट-ऑफ तिथि के आधार पर प्राथमिक कृषि साख समिति से निर्धारित तिथि को प्रपत्र-एम 1 में सदस्यता सूची प्राप्त करने की व्यवस्था अपने स्तर से भी सुनिश्चित करेंगे।

13.01.26

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 111 /पटना, दिनांक 13/01/2026

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.01.26

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 111 /पटना, दिनांक 13/01/2026

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.01.26

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 111 /पटना, दिनांक 13/01/2026

प्रतिलिपिः MIS कोषांग, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस कार्यक्रम के अनुसार वेबसाईट से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई ससमय करना सुनिश्चित करेंगे।

13.01.26

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 111 /पटना, दिनांक 13/01/2026

प्रतिलिपिः मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना का कोषांग/ परामर्शी/ अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.01.26

संयुक्त सचिव।

मतदाता सूची के प्रकाशन कार्यक्रम के दौरान ऑनलाईन प्रविष्टि/ अपलोड से संबंधित निर्देश।

दिनांक 24.01.2026 को निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी से **प्राप्त प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन अन्य विहित स्थानों के अलावे** प्राधिकार के वेबसाईट पर प्रारूप मतदाता सूची को स्कैन करके Pdf File में अपलोड कर किया जायेगा। इसके लिए निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जायेगी-

i) प्राधिकार के वेबसाइट https://bsea.bihar.gov.in का लॉगिन पेज open करेंगे,

ii) ऊपर वर्णित "समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम" टैब पर क्लिक करेंगे,

iii) मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना (M-2) पर क्लिक करेंगे,

iv) टेबल में उपलब्ध विभिन्न पत्र संख्या के सामने "View" बटन पर क्लिक करेंगे,

v) **क्लिक करने के उपरांत नीचे खुले दूसरे टेबल में "प्रारूप प्रकाशन हुआ अथवा नहीं" की सूचना देते हुए प्रारूप मतदाता सूची के scanned pdf फाइल को अपलोड करेंगे,**

vi) scanned pdf फाइल अपलोड करने के उपरांत यह आश्वस्त हो लें कि सही फाइल को अपलोड किया गया है, तत्पश्चात् Entry करने वाले व्यक्ति का नाम तथा मोबाईल नम्बर देने के बाद Submit बटन पर क्लिक करेंगे।

प्रारूप मतदाता सूची स्कैन करने से संबंधी निर्देश :-

i) प्रारूप मतदाता सूची को ब्लैक एंड व्हाईट मोड में स्कैन करना है (Grey अथवा Colour में नहीं),

ii) Resolution 200 से 300 dpi में रखना है,

iii) Scanned फाइल को pdf फाइल के रूप में save करना है,

iv) pdf फाइल साईज 30 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए,

v) pdf फाइल साईज 30 MB से ज्यादा होने की स्थिति में compressed करने पर सूची अच्छे से पठनीय होना चाहिए, फाइल quality खराब नहीं होना चाहिए।

***कम्प्यूटर स्कैनर से स्कैन करने के लिए प्राथमिकता दिया जाय। स्कैनर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मोबाईल से स्कैन करते वक्त भी उक्त निर्देशों का अनुपालन किया जाय।**

प्रारूप मतदाता सूची का pdf फाईल अपलोड हो जाने के बाद यह वेबसाइट के Home page पर उपलब्ध Public View **"समितियों से संबंधित प्रारूप मतदाता सूची देखने के लिए क्लिक करें"** पर क्लिक कर देखा जा सकता है।

2. संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अपने-अपने प्रखंड में अवस्थित समितियों की मतदाता सूची का **प्रारूप प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना** प्राधिकार के वेबसाइट https://bsea.bihar.gov.in पर अपने यूजरनेम के माध्यम से लॉगिन कर ऑनलाईन प्रविष्टि (केवल हाँ अथवा नहीं में) **दिनांक 24.01.2026** को निम्नरूप से किया जायेगा :-

i) होमपेज में ऊपर **"समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम"** पर क्लिक करें। तत्पश्चात् वेबपेज पर इस पत्र के माध्यम से मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु निर्गत संख्या के सामने "View" पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत समितियों के नाम

के सामने उल्लिखित **''प्रारूप प्रकाशन हुआ अथवा नहीं''** में ''हाँ'' अथवा ''नहीं'' का चयन कर सबमिट करेंगे।

3. निर्वाचन पदाधिकारी मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद पुनः प्राधिकार के वेबसाइट http://bsea.bihar.gov.in/ पर अपने यूजरनेम के माध्यम से लॉगिन कर मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना **दिनांक 06.02.2026** को निम्नरूप से ऑनलाईन प्रविष्टि (केवल हाँ अथवा नहीं में) करेंगे :-

निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाइट पर लॉगिन करने के उपरांत होमपेज में ऊपर **''समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम''** पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात् वेबपेज पर इस पत्र के माध्यम से मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु निर्गत संख्या के सामने "View" पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत समितियों के नाम के सामने उल्लिखित **''अंतिम प्रकाशन हुआ अथवा नहीं''** में हाँ अथवा नहीं का चयन कर एवं मतदाताओं की संख्या तथा प्रखंड मुख्यालय से समिति कार्यालय की अनुमानित दूरी टाईप कर सबमिट करेंगे।

4. निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा ऑनलाईन प्रविष्टि किये जाने के पश्चात् प्रारूप प्रकाशन/ अंतिम प्रकाशन हुआ अथवा नहीं की स्थिति को ऑनलाईन ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी अपने-अपने यूजरनेम के माध्यम से प्राधिकार के वेबसाइट पर लॉगिन कर डैशबोर्ड पर **''मतदाता सूची के प्रकाशन से संबंधित कार्यक्रम की सूचनाएं''** पर क्लिक कर देख सकेंगे।

.......o........

अनुलग्नक-1

निर्वाचन हेतु पैक्सों की सूची।

क्र0	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	समिति का नाम	अभ्युक्ति
1	अररिया	भरगामा	भरगामा पैक्स	रिक्त पदों का निर्वाचन- अध्यक्ष पद (अनारक्षित)- 01 (पुरूष/महिला)
2	अररिया	रानीगंज	कालाबलुआ पैक्स	
3	अररिया	कुर्साकॉटा	पहुनसी पैक्स	
4	अररिया	कुर्साकॉटा	हरीरा पैक्स	
5	अररिया	जोकीहाट	दभरा पैक्स	
6	अररिया	जोकीहाट	भुना मजगामा पैक्स	
7	अररिया	नरपतगंज	फ़रही पैक्स	
8	अररिया	पलासी	पेचैली पैक्स	
9	अररिया	पलासी	सोहन्दर पैक्स	
10	अररिया	फारबिसगंज	कुशमाहा पैक्स	
11	अररिया	रानीगंज	खरसाही पैक्स	
12	अररिया	रानीगंज	मिर्जापुर पैक्स	
13	अररिया	सिकटी	बेन्गा पैक्स	
14	अररिया	कुर्साकॉटा	जगीर परासी पैक्स	
15	अररिया	पलासी	नकटाखुर्द पैक्स	
16	अररिया	पलासी	रामनगर पैक्स	
17	अररिया	भरगामा	कुशमौल पैक्स	
18	अररिया	रानीगंज	धामा पैक्स	
19	अररिया	रानीगंज	परमानंदपुर पैक्स	
20	अररिया	सिकटी	कौआकोह पैक्स	
21	अररिया	सिकटी	मजरख पैक्स	

क्र0	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	समिति का नाम	अभ्युक्ति
22	अररिया	सिकटी	मुरारीपुर पैक्स	
23	अररिया	अररिया	कमलदाहा पैक्स	
24	अररिया	अररिया	कुशियार गॉव पैक्स	
25	अररिया	अररिया	किस्मत ख्वासपुर पैक्स	
26	अररिया	अररिया	चंद्रदेई पैक्स	
27	अररिया	अररिया	झमता पैक्स	
28	अररिया	अररिया	बनगामा पैक्स	
29	अररिया	अररिया	बेलवा पैक्स	
30	अररिया	अररिया	शरनपुर पैक्स	
31	अररिया	अररिया	हरिया पैक्स	
32	अररिया	जोकीहाट	ककन पैक्स	
33	अररिया	जोकीहाट	कुरसैल पैक्स	
34	अररिया	जोकीहाट	केसरा पैक्स	
35	अररिया	जोकीहाट	गैरकी मसुरिया पैक्स	
36	अररिया	जोकीहाट	चिल्हानिया पैक्स	
37	अररिया	जोकीहाट	चौराह पैक्स	
38	अररिया	जोकीहाट	चोक्ता पैक्स	
39	अररिया	जोकीहाट	डुब्बा पैक्स	
40	अररिया	जोकीहाट	तरन पैक्स	
41	अररिया	जोकीहाट	पछियारी पिपरा पैक्स	
42	अररिया	जोकीहाट	प्रसादपुर पैक्स	
43	अररिया	जोकीहाट	बगडेहरा पैक्स	
44	अररिया	जोकीहाट	बागनगर पैक्स	

क्र0	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	समिति का नाम	अभ्युक्ति
45	अररिया	जोकीहाट	बारा इस्तम मरार पैक्स	
46	अररिया	जोकीहाट	भंसिया पैक्स	
47	अररिया	जोकीहाट	मटियारी पैक्स	
48	अररिया	जोकीहाट	हरडर पैक्स	
49	अररिया	नरपतगंज	खाबदह पैक्स	
50	अररिया	नरपतगंज	खाबदह पैक्स	
51	अररिया	नरपतगंज	बरहारा पैक्स	
52	अररिया	फारबिसगंज	रामपुर उत्तर पैक्स	
53	औरंगाबाद	नबीनगर	खजुरी पाण्डु पैक्स	
54	औरंगाबाद	नबीनगर	बासडीहा पैक्स	
55	औरंगाबाद	नबीनगर	टोल पैक्स	
56	औरंगाबाद	नबीनगर	नाऊर पैक्स	
57	औरंगाबाद	नबीनगर	मूँगिया पैक्स	
58	औरंगाबाद	नबीनगर	महुवाव पैक्स	
59	औरंगाबाद	मदनपुर	खिरियावा पैक्स	रिक्त पदों का निर्वाचन- अध्यक्ष पद (अनारक्षित)-- 01 (पुरूष/महिला)
60	औरंगाबाद	गोह	बन्तारा पैक्स	
61	औरंगाबाद	मदनपुर	इरकी कला पैक्स	
62	औरंगाबाद	नबीनगर	टंडवा पैक्स	
63	औरंगाबाद	ओबरा	खुदवां पैक्स	
64	औरंगाबाद	गोह	फाग पैक्स	
65	औरंगाबाद	रफीगंज	भेटनिया पैक्स	
66	औरंगाबाद	रफीगंज	सिहुली पैक्स	
67	औरंगाबाद	मदनपुर	मदनपुर पैक्स	

क्र0	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	समिति का नाम	अभ्युक्ति
68	कटिहार	बारसोई	चौन्दी पैक्स	
69	कटिहार	बारसोई	बेलवा पैक्स	
70	कटिहार	बारसोई	रघुनाथपुर पैक्स	
71	कटिहार	हसनगंज	कालसर पैक्स	
72	कटिहार	डंडखोरा	सौरिया पैक्स	
73	कटिहार	बलरामपुर	फतेहपुर पैक्स	
74	कटिहार	बलरामपुर	बलरामपुर पैक्स	
75	कटिहार	बलरामपुर	महिशाल पैक्स	
76	कैमूर (भभुआ)	दुर्गावती	मसौढ़ा पैक्स	
77	खगडिया	अलौली	अलौली नगर पंचायत पैक्स लि०-०१ (अलौली पैक्स)	
78	जहानाबाद	मखदुमपुर	कचनावा पैक्स	
79	जहानाबाद	मखदुमपुर	धरनइ पैक्स	
80	जहानाबाद	मोदनगंज	गनधार पैक्स	
81	जहानाबाद	रतनी फरीदपुर	झुनाथी पैक्स	
82	जहानाबाद	रतनी फरीदपुर	मुरहारा पैक्स	
83	दरभंगा	अलीनगर	धमवारा धमंसाईन पैक्स	
84	दरभंगा	किरतपुर	जमालपुर पैक्स	
85	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	मधुबन	बाजितपुर पैक्स	
86	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	तेतरिया	बहुआरा गोपी सिंह पैक्स	
87	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	ढाका	गहई पैक्स	
88	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	ढाका	जटवलिया पैक्स	
89	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	ढाका	झिटकही पैक्स	
90	पूर्वी चम्पारण	ढाका	[illegible] पैक्स	

क्र0	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	समिति का नाम	अभ्युक्ति
91	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	ढाका	फुलवरिया पैक्स	
92	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	ढाका	बड़हरवा लखनसेन पैक्स	
93	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	चकिया	चिंतामनपुर पैक्स	
94	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	रक्सौल	धनगढ़वा कौड़िहार पैक्स	
95	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	रक्सौल	हरदिया पैक्स	
96	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	अरेराज	ममरखा टोलाभैया पैक्स	
97	बांका	कटोरिया	बडवासनी पैक्स	
98	भागलपुर	गोपालपुर	तीनटंगा करारी पैक्स	
99	भागलपुर	शाहकुंड	नारायणपुर पैक्स	
100	भागलपुर	सुलतानगंज	गनगनिया पैक्स	
101	भागलपुर	गोपालपुर	बाबु टोला कमलाकुंड पैक्स	
102	भागलपुर	जगदीशपुर	इमामपुर पैक्स	
103	भागलपुर	नारायणपुर	आशाटोल पैक्स लिमिटेड	
104	भागलपुर	पीरपैंती	बाखरपुर पशिचमी पैक्स	
105	भागलपुर	पीरपैंती	मोहनपुर मधुबन पैक्स	
106	भागलपुर	इस्माईलपुर	कमला कुण्ड पैक्सलिमिटेड	
107	भागलपुर	कहलगांव	अकबरपुर रानीपुर पैक्स	
108	भागलपुर	कहलगांव	ओरियप पैक्स	
109	भागलपुर	कहलगांव	किसनदासपुर पैक्स	
110	भागलपुर	कहलगांव	जयतीपुर पैक्स	
111	भागलपुर	कहलगांव	देवीपुर पैक्स	
112	भागलपुर	कहलगांव	धनौरा पैक्स	
113	भागलपुर	कहलगांव	बंशीपुर पैक्स	

क्र0	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	समिति का नाम	अभ्युक्ति
114	भागलपुर	कहलगांव	रामपुर खड़हरा पैक्स	
115	भागलपुर	कहलगांव	विक्रमशिला पैक्स	
116	भागलपुर	कहलगांव	सलेमपुर सैनी	
117	भागलपुर	कहलगांव	सिंया बरैनी पैक्स	
118	भागलपुर	खरीक	अकीदतपुर पैक्स	
119	भागलपुर	खरीक	ध्रुवगंज पैक्स	
120	भागलपुर	गोराडीह	मोहनपुर पैक्स	
121	भागलपुर	जगदीशपुर	आजमपुर कनेरी (चांदपुर) पैक्स	
122	भागलपुर	जगदीशपुर	पुरैनी (दक्षिणी) पैक्स	
123	भागलपुर	जगदीशपुर	पुरैनी टोला सोनुचक पैक्स	
124	भागलपुर	जगदीशपुर	भवानीपुर देशरी पैक्स	
125	भागलपुर	जगदीशपुर	हबीबपुर पैक्स	
126	भागलपुर	नवगछिया	खैरपुर कदबा पैक्स	
127	भागलपुर	नवगछिया	जमुनिया पैक्स	
128	भागलपुर	नवगछिया	ढोलबज्जा पैक्स	
129	भागलपुर	पीरपैंती	ओलापुर पैक्स	
130	भागलपुर	पीरपैंती	खवासपुर पैक्सलिमिटेड	
131	भागलपुर	पीरपैंती	मानिकपुर पैक्स	
132	भागलपुर	पीरपैंती	रानी दियारा पैक्स	
133	भागलपुर	पीरपैंती	हरिणकोल पैक्स	
134	भागलपुर	रंगरा चौक	तीनटंगा दीयारा (दक्षिण) पैक्स	
135	भागलपुर	रंगरा चौक	मदरौनी पैक्स	
136	भागलपुर	रंगरा चौक	मुरली पैक्स	

क्र0	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	समिति का नाम	अभ्युक्ति
137	भागलपुर	रंगरा चौक	रंगरा पैक्स	
138	भागलपुर	रंगरा चौक	सधुआ चापर पैक्स	
139	भागलपुर	शाहकुंड	मानिकपुर शहजादपुर पैक्स	
140	भागलपुर	सन्हौला	अरार पैक्स	
141	भागलपुर	सन्हौला	चखमजा पैक्स	
142	भागलपुर	सन्हौला	ताडर मकरपुर पैक्स	
143	भागलपुर	सन्हौला	बैजाचक पैक्स	
144	भागलपुर	सन्हौला	मदारगंज अदलपुर पैक्स	
145	भागलपुर	सन्हौला	माधोपुर बथानी पैक्स	
146	भागलपुर	सन्हौला	सन्हौला पैक्स	
147	भागलपुर	सन्हौला	सनोखर पैक्स	
148	भागलपुर	सबौर	फतेहपुर पैक्स	
149	भागलपुर	सबौर	बैजलपुर अमडाड पैक्स	
150	भागलपुर	सबौर	ममलखा पैक्स	
151	भागलपुर	सबौर	शंकरपुर दियारा पैक्स	
152	भागलपुर	सुलतानगंज	उधाडीह पैक्स	
153	भागलपुर	सुलतानगंज	जहाँगीरा पैक्स	
154	भागलपुर	सुलतानगंज	धंदी बेलारी पैक्स	
155	भागलपुर	सुलतानगंज	भवनाथपुर पैक्स	
156	भागलपुर	सुलतानगंज	मसदि पैक्स	
157	भागलपुर	सुलतानगंज	श्रीरामपुर पैक्स	
158	मधुबनी	बाबूबरही	बेला पैक्स	
159	मधुबनी	बिस्फी	खैरी बाँका दक्षिण पैक्स	

क्र0	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	समिति का नाम	अभ्युक्ति
160	मधुबनी	पंडौल	सलेमपुर पैक्स	
161	मधुबनी	बेनीपट्टी	मुरैठ पैक्स	रिक्त पदों का निर्वाचन- पिछड़ा वर्ग सदस्य पद - 01 (पुरूष/महिला) अत्यंत पिछड़ा वर्ग सदस्य पद - 01 (महिला) अनुसूचित जाति वर्ग सदस्य पद- 01 (पुरूष/महिला) अनुसूचित जाति वर्ग सदस्य पद- 01 (महिला)
162	मधुबनी	रहिका	सनौर पैक्स	
163	मधुबनी	राजनगर	भटसिमर पश्चिमी पैक्स	
164	मधुबनी	अंधराठाढ़ी	देवहार पैक्स	
165	मधुबनी	बाबूबरही	कुल्हरिया पैक्स	
166	मधुबनी	बाबूबरही	तिरहुता पैक्स	
167	मधुबनी	बाबूबरही	मुरहदी पैक्स	
168	मधुबनी	रहिका	बलिया पैक्स	
169	मधुबनी	रहिका	बसौली पैक्स	
170	मधुबनी	रहिका	रहिका पैक्स	
171	मधुबनी	राजनगर	पटवारा दक्षिणी पैक्स	
172	मधुबनी	घोघरडीहा	सरौती पैक्स	
173	मधुबनी	मधवापुर	मधवापुर पैक्स	
174	मधुबनी	खजौली	राशिदपुर पैक्स	
175	मधुबनी	घोघरडीहा	अम्ही पैक्स	
176	मधुबनी	घोघरडीहा	परसा उतरी पैक्स	
177	मधुबनी	घोघरडीहा	परसा दक्षिणी पैक्स	
178	मधुबनी	घोघरडीहा	पिरोजगढ़ पैक्स	
179	मधुबनी	घोघरडीहा	ब्रहमपुर उत्तरी पैक्स	
180	मधुबनी	घोघरडीहा	ब्रहमपुर बथनाहा पैक्स	

क्र0	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	समिति का नाम	अभ्युक्ति
181	मधुबनी	घोघरडीहा	बसुआरी पैक्स	
182	मधुबनी	घोघरडीहा	बिशनपुर पैक्स	
183	मधुबनी	घोघरडीहा	सांगी पैक्स	
184	मधुबनी	झंझारपुर	नरुआर पैक्स	
185	मधुबनी	लौकही	नरहिया उत्तरी पैक्स	
186	मधुबनी	लौकही	बरुआर पैक्स	
187	मधुबनी	लौकही	मंसापुर पैक्स	
188	मधुबनी	बेनीपट्टी	करहरा पैक्स	
189	मधुबनी	बेनीपट्टी	बसैठ पैक्स	
190	मधुबनी	बिस्फी	औंसी बभनगामा उत्तर पैक्स	
191	मधुबनी	बिस्फी	सदुल्लाहपुर पैक्स	
192	मधुबनी	अंधराठाढ़ी	हररी पैक्स	
193	मधुबनी	पंडौल	पचाढ़ि पैक्स	
194	मधुबनी	पंडौल	सकरी पूर्वी पैक्स	
195	मधुबनी	मधेपुर	नवादा पैक्स	
196	मधुबनी	रहिका	खजुरी पैक्स	
197	मधुबनी	रहिका	मक़सूदा पैक्स	
198	मधुबनी	लदनियाँ	पथराही पैक्स	
199	मधुबनी	लौकही	लदनिया पैक्स	
200	मधुबनी	हरलाखी	बोरहर पैक्स	
201	मधेपुरा	उदाकिशुनगंज	मधुबन पैक्स	
202	मधेपुरा	घैलाढ़	भतरंधा परमान्दपुर पैक्स	
203	मधेपुरा	बिहारीगंज	गमैल पैक्स	

क्र0	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	समिति का नाम	अभ्युक्ति
204	मुजफ्फरपुर	मुशहरी	छपरा मेथ पैक्स	
205	रोहतास	नौहट्टा	भदारा पैक्स	
206	लखीसराय	सुर्यगढ़ा	गोपालपुर पैक्स	
207	लखीसराय	सुर्यगढ़ा	ताजपुर पैक्स	
208	लखीसराय	सुर्यगढ़ा	मोहम्मदपुर पैक्स	
209	लखीसराय	सुर्यगढ़ा	रामपुर पैक्स	
210	लखीसराय	सुर्यगढ़ा	सलेमपुर पूर्वी पैक्स	
211	लखीसराय	सुर्यगढ़ा	सलेमपुर पश्चिमी पैक्स	
212	लखीसराय	सुर्यगढ़ा	कवादपुर पैक्स	
213	लखीसराय	सुर्यगढ़ा	चंद्रपुरा पैक्स	
214	लखीसराय	सुर्यगढ़ा	अवगील रामपुर पैक्स	
215	समस्तीपुर	पूसा	कुबौली राम पैक्स	
216	समस्तीपुर	पूसा	धोबगामा पैक्स	
217	समस्तीपुर	कल्याणपुर	सोरमार पैक्स	
218	समस्तीपुर	खानपुर	दिनमानपुर दक्षिणी पैक्स	
219	समस्तीपुर	कल्याणपुर	ध्रुवगामा पैक्स	
220	समस्तीपुर	कल्याणपुर	नमापुर पैक्स	
221	समस्तीपुर	मोरवा	गुनाई बसही पैक्स	
222	समस्तीपुर	मोरवा	बनबीरा पैक्स	
223	समस्तीपुर	विभूतिपुर	बिभूतिपुर पूरब पैक्स	
224	समस्तीपुर	समस्तीपुर	धुरलख पैक्स	
225	समस्तीपुर	समस्तीपुर	समस्तीपुर नगर निगम जितवारपुर चौथ पैक्स	

क्र0	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	समिति का नाम	अभ्युक्ति
226	समस्तीपुर	समस्तीपुर	समस्तीपुर नगर निगम जितवारपुर निजामत पैक्स	
227	सारण	ईसुआपुर	सहवा पैक्स इसुआपुर	
228	सारण	अमनौर	कोरेया पैक्स अमनौर	
229	सारण	अमनौर	मदारपुर पैक्स अमनौर	
230	सारण	ईसुआपुर	चकहन पैक्स इसुआपुर	
231	सारण	एकमा	बलिया पैक्स एकमा	
232	सारण	गरखा	पचपटिया पैक्स गरखा	
233	सारण	गरखा	मिर्ज़ापुर पैक्स गरखा	
234	सारण	दिघवारा	बरुआ पैक्स दिघवारा	
235	सारण	मशरक	कवलपुरा पैक्स मशरख	
236	सारण	मशरक	दुर्गौली पैक्स मशरख	
237	सारण	मांझी	बरेजा पैक्स मांझी	
238	सारण	छपरा	फकुली पैक्स, सदर छपरा	
239	सारण	तरैया	सरेया रत्नाकर पैक्स, तरैया	
240	सारण	मांझी	जैतपुर पैक्स, मांझी	
241	सारण	मांझी	मटियार पैक्स, मांझी	
242	सारण	रिविलगंज	इनई पैक्स	
243	सीतामढ़ी	परिहार	मानिकपुर मुशरनिया पैक्स	
244	सीतामढ़ी	नानपुर	बहेरा जाहिदपुर पैक्स	
245	सीतामढ़ी	पुपरी	बछरपुर पैक्स	
246	सीतामढ़ी	बाजपट्टी	मधुरापुर पैक्स	
247	सीतामढ़ी	सोनबरसा	विशनपुर गोनाही पैक्स	
248	सीतामढ़ी	बथनाहा	महुआवा पैक्स	

क्र0	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	समिति का नाम	अभ्युक्ति
249	सीतामढ़ी	बथनाहा	रनौली पैक्स	
250	सीतामढ़ी	परिहार	बबुरबन पैक्स	
251	सीवान	गोरेयाकोठी	हरिहरपुर कला पैक्स	
252	सीवान	पचरूखी	शम्भूपुर पैक्स	
253	सीवान	पचरूखी	सुपौली पैक्स	
254	सीवान	हुसैनगंज	खरसंधा पैक्स	
255	सीवान	हुसैनगंज	छपिया बुजुर्ग पैक्स	
256	सीवान	हुसैनगंज	बड़रम पैक्स	
257	सीवान	हुसैनगंज	मड़कन पैक्स	
258	सुपौल	मरौना	सरोजबेला पैक्स	
259	सुपौल	मरौना	हर्री पैक्स	
260	सुपौल	मरौना	गानौरा पैक्स	
261	सुपौल	मरौना	बेलही पैक्स	
262	सुपौल	मरौना	कदमाहा पैक्स	
263	सुपौल	मरौना	मरौना उत्तर पैक्स	
264	सुपौल	त्रिवेणीगंज	कोरिया पट्टी पूरब पैक्स	
265	सुपौल	मरौना	कमरैल पैक्स	
266	सुपौल	मरौना	लालमीनिया पैक्स	
267	सुपौल	प्रतापगंज	चिलोनी उत्तर पैक्स	
268	सुपौल	प्रतापगंज	भवानीपुर उत्तर पैक्स	